16.9.25

पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय प्रति पृथक से तहसीलदार अलवर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जाकर बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

(72)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर, जिला अलवर
पीठासीन अधिकारी – श्री माधव भारद्वाज (आई.ए.एस.)

दावा संख्या
1/27

तारीख दायर
25.03.2025

अन्तिम निर्णय
16–9–2025

उनवान

1:–मैसर्स त्रेहान अपना घर प्रा० लि०, बी–13 डीएलएफ एरिया, 14 मानस्टोन, मथुरा रोड, नियर बीएसएनएल. हरियाणा–121003 जरिये अधिकृत ऑर्थोरिटी। फरीदाबाद

वादी।

बनाम

1:–उमरदीन पुत्र धूपसिंह,
2:–छोटा पुत्र धूपसिंह,
3:–तैयब पुत्र धूपसिंह,
4:–जूहरी पत्नि धूपसिंह निवासीयान ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर–राज०
5. उप पंजीयक अलवर।
6. तहसीलदार भू०अ० अलवर ।

असल प्रतिवादीगण।

तकमीली प्रतिवादी।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अन्तिम निर्णय

वादी ने धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खाता सं. 115 आराजी खसरा नम्बर 1110 रकबा 0.68 है० वाके ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं जो इस दावे हाजा में विवादित हैं और विवादित आराजी मुतनाजा के नाम से संबोधित की जावेगी। विवादित आराजी में मिन वादी का 1/4 सालिम हिस्सा कब्जे काश्त खातेदारी का हैं तथा तदानुसार हाल राजस्व में मिन वादी के नाम का अमल दरामद चला आ रहा हैं तथा मिन वादी अपने सालिम हिस्से पर काबिज दाखिल होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। विवादित आराजीयात अबट काश्त भूमि हैं जिसका आज दिन तक तकासमा नहीं हुआ हैं। यह हैं कि असल प्रतिवादी सं. 1 ला० 4 सहकाश्तकारान हैं वादी को उसके सालिम हिस्से से जबरन बेदखल करना चाहते हैं तथा विवादित आराजी व उसके अंश व हिस्से को बगैर तकासमा के भू–माफिया लोगो को बेचान करने पर आमदा हैं। जिससे मिन वादी का असल प्रतिवादी सं. 1 ला० 4 के साथ सालिम में काश्त करना दुश्वार हो गया हैं मिन वादी के सालिम कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करने लगे तथा असल प्रतिवादी सं. 1 ला0 4 ने मिन वादी को उसके सालिम हिस्से से जबरन बेदखल करने का असफल प्रयास किया गया। इस पर मिन वादी ने असल प्रतिवादी सं. 1 ला0 4 के साथ सालिम में काश्त करना संभव नहीं होने के कारण विवादित आराजीयात को हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी व बूरी में से बूरी तकसीम करने हेतु निवेदन किया गया तो असल प्रतिवादी सं. 1 ला0 4 ने विवादित आराजीयात को तकसीम करने से इंकार कर दिया तथा वादी को धमकी दी कि असल प्रतिवादी सं. 1 ला० 4 विवादित आराजीयात में वादी को उसके सालिम हिस्से में काश्त नहीं करने देगे तथा वादी को उसके सालिम हिस्से से जबरन बेदखल कर

दगे तथा विवादित आराजी में कच्चा पक्का निर्माण करेगे तथा असल प्रतिवादी सं. 1 ला० 4 विवादित आराजीयात व उसके अंश व हिस्से को हाल रिकोर्ड के आधार पर बगैर तकासमा के किसी दीगर व्यक्ति को रहन बय हिब्बा व अन्य प्रकार से अंतरण कर देगे तथा अंतरण दस्तावेज असल प्रतिवादी सं. 5 के यहाँ तस्दीक करा देगे। यदि असल प्रतिवादीगण अपने बेजा मकसद में सफल हो गये तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। जिससे वादी के पास यह वाद पत्र न्यायालय हाजा में पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा हैं

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिग्री व आज्ञा सादिर फरमाई जावें कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिग्री तकसीम आराजीयात इस अमर की सादिर फरमाई जावें कि विवादित आराजी खाता सं. 115 आराजी खसरा नम्बर 1110 रकबा 0.68 है० वाके ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर राजस्थान में मिन वादी के 1/4 सालिम हिस्सा को अच्छी में से अच्छी व बूरी में से बूरी तकसीम किया जाकर पृथक से खाता कायम किया जावें तथा पृथक से लगान का निर्धारण किया जावें वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिग्री हुकुमइम्तनाई दवामी इस अमर की सादिर फरमाई जावें कि विवादित आराजी खाता सं. 115 आराजी खसरा नम्बर 1110 रकबा 0.68 है० वाके ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर राजस्थान में असल प्रतिवादी सं. 1 ला0 4, मिन वादी के सालिम कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व जबरन बेदखल ना करें व ना ही किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करें व असल प्रतिवादी विवादित आराजीयात व उसके अंश व हिस्से को बगैर तकासमा के किसी दीगर व्यक्ति को रहन बय हिब्बा व अन्य प्रकार से अंतरण ना करें तथा मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। असल प्रतिवादीगणो ने बावजूद रजिर्स्टड नोटिस सूचना उपरान्त भी उपस्थित नही हुये प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लेते हुये वाद वादी एक तरफा सुनवाई कर दिनॉक 30–06–2025 को प्रारम्भिक निर्णय किया गया कि खाता संख्या नया 115 हाल आराजी खसरा नम्बर 1110 रकबा 0.68 हेक्टेयर वाके ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर मे अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी बाई मिटस एण्ड बाउन्डस मौके राजस्व रिकार्ड व हिस्से अनुसार रास्ते की सुविधा का ध्यान रखते हुये विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव विवादित आराजी के नक्शे मे विभाजन को प्रर्दशित करते हुये पेश करे।

तहसीलदार अलवर से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई तहसीलदार अलवर ने अपनी रिपोर्ट जर्ये पत्रॉक भू0अ0/2025/5276 दिनॉक 05–8–25 द्वारा कुर्रेजात रिर्पोट खाता संख्या 115 आराजी खसरा नम्बर 1110 रकबा 0.68 हेक्टेयर वाके ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर के कम मे प्रस्तुत कि गई।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया कुर्रेजात रिपोर्ट का अध्ययन किया प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड सही होना प्रतीत होती है इस प्रकार मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार अलवर के उक्त उनवानी वाद अन्तिम निर्णय किया जाना अन्तिम डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

मुताबिक तहसीलदार अलवर से प्राप्त कुर्रेजात (प्रस्ताव विभाजन) के आधार पर निम्न प्रकार अन्तिम डिकी किया जाता है कुरेजात रिपोर्ट (प्रस्ताव विभाजन) के नक्शा निर्णय का जुज माना जावेगा।

क्र0 स0	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर मय रकबा	किस्म	तरफ/दिशा	प्रस्तावित रंग नक्शा
01	मेर्सस त्रेहान अपना घर प्राईवेट लिमिटेड बी–13 डी.एल.एफ. एरिया, 14 माइलस्टोन, मथुरा रोड नियर बी.एस.एन.एल. फरीदाबाद हरियाणा–121003 खातेदार	1110 मि. रकबा 0.17 है0	बारानी प्रथम	तर्फ दक्षिण	गुलाबी कलर

(35)

(1:–)उमरदीन पुत्र धूपसिंह जाति मेव सा.देह खातेदार हि0 4/15 राहिन बडौदा रा0 क्षे0 ग्रामीण बैंक शाखा नंगलारायसीस (2:–)छोटा पुत्र धूपसिंह जाति मेव सा0 देह खातेदार हि0 4/15 राहिन बडौदा राज0 क्षे0 ग्रामीण बैंक शाखा नंगलारायसीस (3:–)तैयब पुत्र धूपसिंह जाति मेव सा.देह खातेदार हि0 4/15 राहिन बडौदा राज0 क्षे0 ग्रामीण बैंक शाखा नंगलारायसीस (4:–)जूहरी पत्नि धूपसिंह जाति मेव सा.देह खातेदार हि0 1/5 राहिन बडौदा राज0 क्षे0 ग्रामीण बैंक शाखा नंगलारायसीस	1110 मि. रकबा 0.51 है0.	बारानी प्रथम	तर्फ उत्तर	आसमानी कलर

अंतिम निर्णय जारी हो। तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

माधव भारद्वाज
(I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 16 –09–25 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

माधव भारद्वाज
(I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर